[Shri Swaran Singh.]

cause and other details will be known when the proceedings of the Court of Inquiry are received.

The question of the grant of financial assistance to the dependents of the missing personnel will be considered in accordance with the rules.

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन): अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात पूछनी है . . . .

MR. SPEAKER: No. That is not the practice. The House will now stand adjourned for lunch and meet again at 2 P.M.

13 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

RE. LUNCH HOUR

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, यह लोक सभा में लंच आवर होने से दो बजे जब फिर हाउस बैठता है तो रोज 5, 10 मिनट हाउस के चले जाते हैं क्योंकि कोरम नहीं होता है और जबकि हम देखते हैं कि समयाभाव के कारण कभी कभी 2 मिनट भी किसी को बोलने नहीं देते हैं जबकि इधर कोरम न होने के कारण 5,5 और 10, 10 मिनट तक घंटी बजा करती है और हाउस का समय जाया होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि यह लंच का एक घंटे का समय खत्म किया जाय।

श्री प्र० सिं० सहगल (बिलासपुर) : आप मेहरबानी करके बिजनस एडवाइजरी कमेटी में इस बात को रक्खें कि 12 बजे के करीब हम यहां पर बैठें ताकि लोग खाना खाकर यहां आयें क्योंकि आज भी लंच आवर होंवे पर जिनके पास कारें नहीं हैं और मेज रिटी ऐसे ही लोगों की हैं, वह लोग लंच आवर में आ नहीं सकते, इसलिए मैं चाहता हूं यह लंच आवर खत्म कर देने का मामला आप बिजनैस एडवाजरी कमेटी की मीटिंग में रक्खें और इस बारे में फैसला कर लें। मेरा सुझाव है कि यह लंच आवर खत्म करें और हाउस 12 बजे से 6 बजे तक बैठा करे।

श्री मनभाई पटेल (डभोई) : लंच आवर खत्म किया जाय और 12 से 6 बजे तक हाउस बैठे।

MR. DEPUTY SPEAKER: There is the Business Advisory Committee meeting at 4 P.M. today. I suggest that members who have something to say regarding the lunch hour and the quorum question may appear before the Committee and convey their views. I will also do it. I see there are some difficulties. So, all the matters will be considered by the Committee.

श्री क० ना० तिवारी : जब तक आप उस में हम लोगों को बुलायेंगे नहीं तब तक हम कैसे आ सकते हैं।

THE MINISTER OF STEEL, MINES AND METALS (DR. CHANNA REDDY): One more alternative may be considered, 2 to 8 P.M.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will pass on your suggestion.

14.07 hrs.

BIHAR AND UTTAR PRADESH (ALTERATION OF BOUNDARIES) BILL—*contd.*

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में मैंने इस विधेयक को सदन के सामने प्रस्तुत किया था। उस समय इस के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई थी। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा यह विधेयक उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में जो सीमा है उस की स्थापना ठीक से की जाये इस के लिए इसे इस सदन के सामने लाया गया है।